ALL INDIAINSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI

F.No. PIC/01/Security/2026 Date: 25.08.2026

NOTICE

Subject: Use of Designated Parking Areas for Smooth Traffic Movement within the Premises

This is to inform all Faculty Members, Permanent Staff, Outsourced Staff, Senior Residents, Junior Residents, and Students that vehicles are frequently being parked in non-designated areas, including roadsides, walkways, entrances, and no-parking zones. This is causing traffic congestion and obstruction of smooth movement within the premises, and poses a serious inconvenience and safety hazard, especially during emergencies.

All concerned are hereby directed to strictly adhere to the following:

1. All vehicles (two-wheelers and four-wheelers) must be parked only in the designated parking areas allotted for the respective category of staff/students.
2. Vehicles must not be parked on roads, footpaths, in front of entrances/exits, emergency exits, fire hydrants, or any other unauthorized area.
3. Adequate space must be left for the free movement of ambulances, fire tenders, and other emergency vehicles at all times.
4. Parking must be done in an orderly manner within the marked lines/bays, without obstructing other vehicles.

This notice is issued in the interest of all and for maintaining discipline and smooth traffic flow within the premises. Any violation of the above instructions will be viewed seriously. Vehicles found parked in non-designated/unauthorized areas will be towed away, and a fine will be imposed on the vehicle owner/concerned individual, without any further notice.

All Faculty, Staff (Permanent & Outsourced), Senior Residents, Junior Residents, and Students are requested to cooperate and strictly follow the above guidelines for the convenience and safety of all.

This notice is issued with the approval of the competent authority.

~~Dr.~~ (Major) M. D. Ray
PIC, Security (Deployment & Monitoring)

डॉ. (मेजर) एम. डी. रे
Dr. (MAJOR) M. D. RAY
प्रोफेसर प्रभारी, सुरक्षा
Professor In-charge, Security
(Deployment & Monitoring)
AIIMS, New Delhi & Allied Campuses

Copy to:

1. Director, AIIMS
2. Ad (Admin) AIIMS
3. Medical Superintendent (H)
4. Medical Superintendent (RPC)
5. Chief of All centers, All Department HODs, Addl. Medical Superintendent of All centers
6. PIC, Computer Facility for upload on the institute website.
7. Sr. FA, CAO, Superintendent Engineer
8. Dy. CSO, SOs, ASOs - For Necessary action, please.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली

फा. सं.: PIC/01/सुरक्षा/2026 **दिनांक: 25.08.2026**

सूचना

विषय: संस्थान परिसर में सुचारु यातायात व्यवस्था हेतु निर्धारित पार्किंग स्थलों के उपयोग के संबंध में

सभी संकाय सदस्यों, स्थायी कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, वरिष्ठ रेजिडेंट्स, कनिष्ठ रेजिडेंट्स एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वाहनों को प्रायः निर्धारित पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त सड़क किनारे, पैदल मार्गों, प्रवेश/निकास द्वारों तथा 'नो-पार्किंग' क्षेत्रों में खड़ा किया जा रहा है। इसके कारण परिसर में यातायात बाधित हो रहा है, सुचारु आवागमन में रुकावट उत्पन्न हो रही है तथा विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में गंभीर असुविधा एवं सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो रहा है।

अतः सभी संबंधित व्यक्तियों को निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है:

1. सभी वाहन (दोपहिया एवं चारपहिया) केवल संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएँ।
2. वाहनों को सड़कों, फुटपाथों, प्रवेश/निकास द्वारों के सामने, आपातकालीन निकास, फायर हाइड्रेंट अथवा किसी अन्य अनधिकृत स्थान पर खड़ा न किया जाए।
3. एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों के निर्बाध आवागमन हेतु हर समय पर्याप्त स्थान खाली रखा जाए।
4. वाहनों को निर्धारित रेखाओं/पार्किंग बे के भीतर व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाए तथा किसी अन्य वाहन के आवागमन में बाधा उत्पन्न न की जाए।

यह सूचना सभी के हित में तथा संस्थान परिसर में अनुशासन एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु जारी की जा रही है। उपर्युक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। निर्धारित/अधिकृत पार्किंग क्षेत्र के बाहर खड़े पाए गए वाहनों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के टो कर हटाया जाएगा तथा वाहन स्वामी/संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा।

सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों (स्थायी एवं आउटसोर्स), वरिष्ठ रेजिडेंट्स, कनिष्ठ रेजिडेंट्स तथा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सभी की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की जाती है।

डॉ. (मेजर) एम. डी. रे
प्रोफेसर-प्रभारी, सुरक्षा (तैनाती एवं निगरानी)

डॉ. (मेजर) एम. डी. रे
Dr. (MAJOR) M. D. RAY
प्रोफेसर प्रभारी, सुरक्षा
Professor In-charge, Security
(Deployment & Monitoring)
AIIMS, New Delhi & Allied Campuses

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. निदेशक, एम्स
2. ए.डी. (प्रशासन), एम्स
3. चिकित्सा अधीक्षक (अस्पताल)
4. चिकित्सा अधीक्षक (आर.पी.सी.)
5. सभी केन्द्रों के प्रमुख, सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी केन्द्रों के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक
6. प्रोफेसर-प्रभारी, कंप्यूटर सुविधा — संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. वरिष्ठ वित्त सलाहकार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता
8. प्रोफेसर-प्रभारी, कंप्यूटर सुविधा — संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी एवं सहायक सुरक्षा अधिकारी — आवश्यक कार्रवाई हेतु।